

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 375/भू अ0

दिनांक : 29/5/2017 54

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-**फारासिमल**, थाना :-**पालोजोरी**, थाना सं०-**384**, अंचल:- **पालोजोरी**, जिला :-**देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना-**नोनीहाट-बासुकीनाथ-केराबानी-पालोजोरी-बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :- **फारासिमल**, थाना :-**पालोजोरी**, थाना सं०-**384**, अंचल:-**पालोजोरी**, जिला :- **देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मादेश **0.73** एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	89	रैयती	वाड़ी-2	0.02	धनेश्वर राय वो बनेश्वर राय पिता राम राय	निज	झगरू मिया-	दा ग नं०-583	दाग नं०-509
2	12	90	रैयती	धानी-3	0.01	प्रफुल कुमार दास वो सुनिल कुमार दास वो सुबल चंद्र दास पिता बैजनाथ दास वो काजल कुमार दास वो बिजल कुमार दास वो जय कुमार दास पिता अनिल कुमार दास वो विनय कुमार दास वो दिनेश कुमार दास वो अजय कुमार दास वो अमर नाथ दास पिता लक्ष्मण कुमार दास वो निमाय चंद्र दास पिता नवदीप दास वो प्रदीप कुमार दास वो प्रवीर कुमार दास वो प्रणव कुमार दास वो प्रहत कुमार दास वो प्रलय कुमार दास पिता अजित कुमार दास				
3	14	92	रैयती	वाड़ी-2	0.09	राजेन्द्र भंडारी वो हरिबोल भंडारी वो श्याम सुन्दर भंडारी वो देव सुन्दर भंडारी पे० स्व० त्रिभुवन भंडारी				
4	9	93	रैयती	धानी-3	0.05	महादेव बाउरी पिता शंकर बाउरी वो पलोनी बाउरी पति अनिल बाउरी				
5	5	94	रैयती	धानी-1	0.56	पारूल वाला पति गया प्रसाद वो सजल मंडल पिता मधुराम मंडल वा सेनत मंडल माता राणु वाला वो बबलसा मंडल माता बारू वाला वो बलराम मंडल पिता मोतिलाल मंडल वो उदय मंडल पिता भरत मंडल वो अजित मंडल वो दुलाल मंडल पिता नारायण मंडल वो चांदो वाला वो रजनी वाला पिता आशुतोष मंडल वो शन्तो वाला पिता हरी दास वो गौर मंडल माता दुर्गा दासी वो मीरा मंडल पिता चंदरी प्रसाद मंडल वो निर्मल मंडल वो संतोष मंडल पिता कृष्ण गोपाल मंडल।				
कुल योग-						0.73				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

५०/-

समाहर्ता-सह-उपायुक्त  
देवघर।

ज्ञापांक 375 / भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 ५०1

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

५०/२९/०५/१७

समाहर्ता-सह-उपायुक्त  
देवघर।